

कार्यालय अंचल अधिकारी बरनाडीह, (जिला- लातेहार)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1041 का नियम 120)

ਜਾਨਵਰ

राशि

106

५७

कोस का प्रकार :- रैयती भूमि का RS में जमान्दी संचालन से।

आदेश सर की व
कार्रवाई के बारे
दिपानी तारीख
सहित

3

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

7

6.12.22

आवेदक / आवेदिना

आवेदक / आवेदिका : श्री ४७१ शांति निवासी
 पिता / पति : श्री ४७१ शांति निवासी
जिला लातेहार के द्वारा C.S. से R.S. पंजी ॥ को अद्यतन कर लगाने इसीत निवासी
 अनुरोध किया है। जो निम्न है:-

१६/११/२०१८

मौजा

खाता
नया / पुराना

सप्रेम

62/6

प्लॉट

1253-

0.0413

12/17 -

0.0597

1188-

0.025

1125

10.49

~~1123~~
~~1123~~

207 21.60

राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे एवं आम इस्तेहार निर्गत करे। दिनांक 22.12.22 को अभिलेख उपस्थापित करे।

अंचल अधिकांशी,
बरवाडीह ।

अभिलेख उपस्थापित । आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री दरभू भुजाए पिता/पति श्री देवी प्रताप प्रसाद साकिन में दाखिल खारिज वाद संख्या २५५/२२-२६ के द्वारा रकबा १.४३.३५ ९० भूमि प्राप्त किये है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

C.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/धाना सं०	खाता	प्लॉट	रकबा
परासीह 05	6	565 - 571 - 526 - 619 -	0.04 $\frac{1}{2}$ 0.03 $\frac{1}{4}$ 0.03 $\frac{1}{4}$ 0.17 $\frac{1}{2}$
		जम्मा	0.27 $\frac{1}{2}$

R.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/धाना सं०	खाता	प्लॉट	रकबा	प्लॉट सं०
परासीह 05	62	1253 - 1247 - 1198 - 1125 - 1199 - 1254 -	0.04 $\frac{1}{2}$ 0.09 $\frac{1}{4}$ 0.09 $\frac{1}{4}$ 0.47 0.14 $\frac{1}{4}$ 0.05 $\frac{1}{4}$	1117-0.20 $\frac{1}{4}$ 1162-0.16 $\frac{1}{4}$ 1166-0.23 $\frac{3}{4}$ 1192-0.35 1119-0.18 80-20.73

उक्त भूमि का जमाबंदी स्टारबु प्लान 218 प्लॉट नं० 1253-1254 के नाम से C.S. गांग पंजी॥ में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं आवेदक का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में अंचल पदाधिकारी, /प्लान/लातेहार। के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 2/15/1985/86 द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया जा रहा था। वर्ष 1985-86 तक लगान रसीद निर्गत है। लगान रसीद/खतियान की छायाप्रति एवं अमीन द्वारा ट्रेस किए गए नये/पुराने खाता प्लॉट का सत्यापित नक्शा संलग्न है।

अतः राजस्व सप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं दाखिल खारिज वाद संख्या 2/15/1985/86 के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका लगान वर्ष 1985-86 तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संखंड सं० के पत्रांक 1704 दिनांक 16.07.2020 के अनुपालन में, लगान रसीद निर्गत करने हेतु चालू पंजी-॥ में दर्ज जमाबंदी को अद्यतन करने की सलाह दी जाती है। उक्त आदेश किसी भी संक्षम न्यायालय के स्वतंत्र संबंधित पारित आदेश से प्रभावित होगी।

तदनुसार आदेश का अवतरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।

आदेश की दो प्रति राजस्व सप निरीक्षक को अनुपालन हेतु दें तथा अनुपाल प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर समर्पित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

R.R.P.
22.12.20
अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

22004/23043959
कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला- लातेहार)

अनुसूचि 14 फारम 6021

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-सं०..... से..... तक

जिला- लातेहार सं० 104 सन् 2022-23

केस का प्रकार :- रैयती भूमि का RS में जमाबंदी अद्यतन हेतु।

आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

6.12.22

आवेदक/आवेदिका..... पुराना प्रदाय दि. 20.12.22 धाना.....
पिता/पति..... साकिन.....
.....जिला लातेहार के द्वारा C.S. सं R.S. पंजी II को अद्यतन कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु
अनुरोध किया है। जो निम्न है:-

मौजा

खाता
नया/पुराना

प्लॉट

रकबा

पोरवरी कुला
10

425/72

868/311 - 0.07

862/337 - 0.27

812/344 - 0.284

2705/715 - 0.064

2706/715 - 0.10

2712/715 - 0.284

2710/715 - 0.13

राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे एवं आम इस्तेहार निर्गत करें। दिनांक.....को अभिलेख उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

अभिलेख उपस्थापित । आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री पुराना प्रदाय दि. 20.12.22 पिता/पति..... साकिन.....
.....में दाखिल खारिज वाद संख्या 245/85 के द्वारा रकबा 15.89 ए० भूमि प्राप्त किये है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

क अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०

पौरवा 501/10

खाता

77

प्लॉट

1511

रकबा

0.07

1538

0.28

1564

0.28

1515

0.13

1515

0.06

1595

5.6

प्लॉट

रकबा

868

0.08

862

0.28

812

0.28

2805

0.06

2806

0.10

2812

0.28

2812

0.42

R.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०

पौरवा 501/10

खाता

425

868

0.08

862

0.28

812

0.28

2805

0.06

2806

0.10

2812

0.28

2812

0.42

उक्त भूमि का जमाबंदी... के नाम से C.S. मांग पंजी ॥ में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं आवेदक शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में अंचल अधिकारी, प्रलामू/लातेहार। के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० १९८५/१९८५ द्वारा प्रकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद गत किया जा रहा था। वर्ष २०११-१२ तक लगान रसीद निर्गत है। लगान रसीद/खतियान छायाप्रति एवं अमीन द्वारा ट्रेस किए गए नये/पुराने खाता प्लॉट का सत्यापित नक्शा संलग्न

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं दाखिल खारिज संख्या १५५/१९८५-८६ के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका लगान १०११-१२ तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग खंड संची के पत्रांक १७०४ दिनांक १५.०७.२०२० के अनुपालन में लगान रसीद निर्गत करने हेतु पंजी-॥ में दर्ज जमाबंदी को अद्यतन करने की दी जाती है। उक्त आदेश तीन-तीन सक्षम न्यायालय के स्वत्व संबंधित पारित आदेश से प्रभावित होगी।

तदनुसार आदेश का उदघरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।
आदेश की दो प्रति राजस्व उप निरीक्षक को अनुपालन हेतु दें तथा अनुपालन के लिये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रक्ष के अन्दर समर्पित करें।

संयोजित एवं संशोधित।

अधिकारी

हैं।

R.R.

29.12.22

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

अधोहस्ताक्षरी
३०/१२/२२